

**चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**  
**Ch. Charan Singh University, Meerut**



पत्रांक : सम्बद्धता/७९८  
 दिनांक : २५.२.२०१६

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—९७५/७९-वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा—३७(२) के प्रत्युत्क के अधीन आई०पी० कालेज, एन०एच०-९१, बुलन्दशहर—दिल्ली रोड, द्वितीय परिसर (बुलन्दशहर) को वाणिज्य एफ०डी०आर० स्नातक स्तर पर बी०काम० पाठ्यक्रम (एक सेवशन) में स्ववित पोषित योजनान्तर्गत कर्तिपय शर्तों के अधीन एफ०डी०आर० पर पाठ्यक्रम का नाम व बंधक शब्द अंकित न होने, विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित परीक्षाफल एवं शिक्षकों के चयन व अनुग्रहोदान का प्रमाण पत्र वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक ०१.०७.२०१६ से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

०१. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा—३७(२) में प्राविधिकत परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
०२. कर्तिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कर्मियों यथा—प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त गहाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कर्मियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक गाह में प्राप्त कर लेगा।
०३. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कर्मियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
०४. संस्था शासनादेश संख्या—२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
०५. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः दिनांक २५.०७.२०१६ को आहूत कार्य परिषद की स्वीकृति के आलोक में आई०पी० कालेज, एन०एच०-९१, बुलन्दशहर—दिल्ली रोड, द्वितीय परिसर (बुलन्दशहर) को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०काम० पाठ्यक्रम (एक प्रदान की जाती है कि संस्थान द्वारा एफ०डी०आर० पर पाठ्यक्रम का नाम व बंधक शब्द अंकित होने, विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित परीक्षाफल एवं शिक्षकों के चयन व अनुग्रहोदान का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को एक माह में उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। यहाँ यह भी सूच्य है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत यदि वर्तमान सत्र में संस्थान में प्रवेशित छात्रों को समाज कल्याण विमाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है तो इसके लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

मवदीय,

कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

१. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, आई०पी० कालेज, एन०एच०-९१, बुलन्दशहर—दिल्ली रोड, द्वितीय परिसर (बुलन्दशहर)।
३. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैंकसाईट पर डालने का कष्ट करें।
८. गार्ड फाइल हेतु।

२५.०७.२०१६

कुलसचिव

११

# चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१८५२

दिनांक : ०३.७.२०१९

## सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन रांख्या-९७५/७९-वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन आई०पी० (पी०जी०) कालेज, द्वितीय परिसर, बुलन्दशहर को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर 'बी०काम० पाठ्यक्रम (एक सैक्षण) में रवैति पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१९ से सम्बद्धता की पूर्वानुगति प्रदान कर दी है।

०१. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) में प्राविधिक परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों का पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिवधित रहेगा।
०२. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के संशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुगति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा—प्रामूख का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०वी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
०३. संस्थान/महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
०४. संस्था शासनादेश संख्या—२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
०५. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शारान एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक ०८.०६.२०१९ के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार आई०पी० (पी०जी०) कालेज, द्वितीय परिसर, बुलन्दशहर को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर 'बी०काम० पाठ्यक्रम (एक सैक्षण) में रवैति पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१९ से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

१. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, आई०पी० (पी०जी०) कालेज, द्वितीय परिसर, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
३. राहायक कलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
८. गार्ड फाइल हेतु।

०८.०७.२०१९  
कुलसचिव